रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2007/पौष 25, 1928
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2007/PAUSA 25, 1928

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2007

(आयकर)

**का.आ. 44(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 3 के साथ पठित् धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 67क के स्पष्टीकरण में, "आश्रित माता-पिता, बहनें और अवयस्क भाई" शब्दों के स्थान पर, "आश्रित माता-पिता" शब्द रखें जाएंगे ।

(ख) नियम 71 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"71क. **कतिपय नियमों का लागू न होना.**—नियम, 68, 69, 70 और नियम 71 में नियत शर्तें, किसी ऐसी निधि से, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 4 के उप-नियम (डक) में नियत शर्तें पूरी करती हैं, 1 अप्रैल, 2007 के पश्चात् किए गए प्रत्याहरणों के संबंध में लागू नहीं होंगी ।";

(ग) नियम 74 में,—

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) भविष्य निधि में भाग लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी के निजी खाते का एक सार, वित्तीय वर्ष या लागू होने वाली अन्य लेखा अवधि के लिए, न्यासियों द्वारा उस क्षेत्र के, जिसमें निधि के लेखे रखे गए हैं, निर्धारण अधिकारी को या यदि लेखे भारत के बाहर रखे गए हैं तो उस क्षेत्र के, जिसमें नियोजक के स्थानीय मुख्यालय स्थित हैं, निर्धारण अधिकारी को, प्रत्येक वर्ष में 15 जून तक या निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत किसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख तक, दिया जाएगा। यह इस नियम के उप-नियम (2) में विहित प्ररूप में होगा, किन्तु उसमें किसी वित्तीय वर्ष या अन्य लेखा अवधि के लिए उसके विविध स्तंभों के केवल योग ही दर्शित किए जाएंगे। उसमें कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से निकाली जाने वाली राशियों का और उसके वापस भुगतान का विवरण भी होगा। इसी प्रकार का सार, भविष्य निधि में भाग लेने वाले ऐसे अन्य कर्मचारियों के संबंध में भी दिया जाएगा, जो नियम 75 के उप-नियम (1) की परिधि के अंतर्गत आते हों ।";

(ii) उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) प्रत्येक नियोजक, यथासाध्य शीघ्रता से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक सदस्य को, वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम, उस अवधि के अंत मे जमा की गई या उस अवधि में विकलित की गई ब्याज की कुल रकम और उस अवधि के अंत में अंत अतिशेष, दर्शाते हुए निधि में, उसके लेखे का विवरण, भेजेगा।";

(घ) नियम 77 में,-

(i) उप-नियम (3) के आरंभिक भाग में, "आवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन, प्ररूप संख्यांक 40ग में, दिया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप संख्यांक 40ग में कोई आवेदन, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।";

(iii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) किसी निधि, जिसको 31 मार्च, 2006 को या इससे पूर्व, मान्यता प्रदान हो चुकी है या जिसके लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व, मान्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के माध्यम से, प्ररूप संख्यांक 40ग में एक नया आवेदन किया जाएगा।"

(ङ) नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"79. **मान्यता वापस ली जानी** (1) मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भविष्य निधि को प्रदान की गई मान्यता वापस ले सकेगा यदि वह आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करती है या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता प्रदान करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन प्रदान कोई छूट, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन वापस ले ली गई है।

(2) मान्यता वापस लेने से पूर्व, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, नियोजक और निधि के न्यासियों को इस बाबत कारण दर्शित करने का अवसर देगा कि मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।"

3. आय-कर नियम, 1962 की परिशिष्ट-II में प्ररूप सं. 40ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"प्ररूप सं. 40ग**

**[ नियम 77 देखें ]**

1. उस निधि का नाम जिसके लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के अधीन मान्यता मांगी गई है:
2. निधि का स्थायी लेखा संख्यांक :
3. निधि के सृजन की तारीख :
4. नियोजक का नाम :
5. नियोजक का पता :
6. नियोजक का कारबार/वृत्ति :
7. नियोजक के कारबार का प्रधान स्थान :
8. कर्मचारियों की कुल संख्या :
9. भारत में नियोजित कर्मचारियों की संख्या :
10. निधि में अभिदाय करने वाले कर्मचारियों की संख्या :
    (i) भारत में-
    (ii) भारत से बाहर-
11. वह स्थान, जहां निधि के लेखे रखे गए हैं/रखे जाएंगे :
12. निधि के न्यासियों की संख्या :
13. न्यासियों के नाम और पते :
14. (क) क्या न्यास अप्रतिसंहरणीय है : हां/नहीं

    (ख) यदि नहीं, तो उसके कारण :
15. कृपया कर्मचारी द्वारा अपने वेतन की प्रतिशतता के अनुसार किए गए अंशदान को उपदर्शित करें :
16. कृपया नियोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन की प्रतिशतता के अनुसार किए गए अंशदान को उपदर्शित करें :
17. नियोजक द्वारा किया जा रहा/किए जाने के लिए प्रस्तावित अंशदान :
18. क्या स्थापन, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम) के अधीन आता है : हां/नहीं

    (क) यदि हां, तो क्या ईपीएफ और एम पी अधिनियम की धारा 1(3) के अधीन आता है

    (ख) क्या ईपीएफ और एम पी अधिनियम की धारा 1(4) के अधीन आता है
19. (क) क्या स्थापन, ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है : हां/नहीं

    (ख) यदि हां, तो कृपया छूट संख्यांक/तारीख उपदर्शित करें और दस्तावेजी सबूत संलग्न करें :

    (ग) यदि नहीं, तो कृपया आवेदन की तारीख उपदर्शित करें और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से रसीद का सबूत संलग्न करें :
20. (क) क्या निधि, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन, 31-3-2006 से पूर्व मान्यता प्राप्त थी : हां/नहीं

    (ख) यदि हां, तो कृपया अनुमोदन की तारीख उपदर्शित करें और अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न करें :
21. यदि निधि पहले से ही अस्तित्व में है तो कृपया आवेदन की तारीख से पहले समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से सुसंगत निम्नलिखित ब्यौरे दें :

    (क) कुल समग्र निधि :

(ख) अनुसरण किया जाने वाला विनिधान क्रम [नियम 67(2) में विहित विनिधान क्रम के अनुसार विघटन का ब्यौरा दें] :

(ग) निधि के तुलनपत्र की प्रति संलग्न करें :

22. क्या स्थापन के पास अनुमोदित अधिवार्षिता निधि है। यदि हां, तो कृपया अनुमोदन संख्यांक और तारीख उपदर्शित करें और अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को उपदर्शित करें :

23. क्या स्थापन के पास अनुमोदित उपदान निधि है। यदि हां, तो कृपया अनुमोदन संख्यांक और तारीख उपदर्शित करें और अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को उपदर्शित करें :

**सत्यापन**

मैं/हम ....., ऊपर नामित निधि का न्यासी हूं/के न्यासी हैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषण करता हूं/करते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है और उसके साथ भेजे गए दस्तावेज मूल है या उनकी सही प्रतियां हैं।''

[अधिसूचना सं. 3/2007/फा.सं. 142/37/2006-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव

**टिप्पण** - मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्राकाशित किए गए जो समय-समय पर संशोधित किए गए और ऐसा अंतिम संशोधन सं. का. आ. 2016 (अ), तारीख 24-11-2006, द्वारा किया गया ।